न्यायालय :–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर(ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :–श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2024
प्रकरण दर्ज तिथि :– 01.05.2024
जोसीएमएम नम्बर :– 2024/100

1–घीसाराम पुत्र प्रेमाराम जाति सिरवी उम्र 75 वर्ष निवासी राठौडी बेरा निम्बेडा तहसील रायपुर जिला ब्यावर
2–श्रीमति राधादेवी पत्नि घीसराम जाति सिरवी उम्र 70 वर्ष निवासी राठौडी बेरा निम्बेडा तहसील रायपुर जिला ब्यावर

.....प्रार्थी

बनाम

1–भॅवरलाल पुत्र घीसाराम जाति सिरवी निवासी राठौडी बेरा निम्बेडा तहसील रायपुर जिला ब्यावर
2–धर्मीचन्द पुत्र घीसराम जाति सिरवी निवासी राठौडी बेरा निम्बेडा तहसील रायपुर जिला ब्यावर .....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क और ख के अधीन माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित :– प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी गण अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः 28.11.2024

प्रार्थी घीसाराम पुत्र प्रेमाराम जाति सिरवी उम्र 75 वर्ष निवासी राठौडी बेरा निम्बेडा तहसील रायपुर जिला ब्यावर एवं श्रीमति राधादेवी पत्नि घीसराम जाति सिरवी उम्र 70 वर्ष निवासी राठौडी बेरा निम्बेडा तहसील रायपुर जिला ब्यावर द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 (01)क एव ख माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण पेश किया हैं प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि

1 प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक दो के माता–पिता है। प्रार्थीगण शारिरिक व मानसिक रूप से काफि कमजोर है प्रार्थीगण के आय का कोई जरिया नही है प्रार्थीगण अक्सर बिमार रहते है। जिसमे प्रार्थी घीसाराम हार्ड का पेसेन्ट है बी पी सुगर का पेसेन्ट है। जिसमे प्रार्थी घीसाराम के प्रतिमाह लगभग 5000/–रू0 कि दवाईया आ आती है। प्रार्थीगण के भरण पोषण का कोई जरिया नही है। अप्रार्थीगण का नैतिक व विधिक दायित्व है कि वह अपने वृद्ध माता का भरण पोषण करे या भरण पोषण हेतू राशि अदा करे । किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का भरण पोषण नही कर दर–दर की ठोकरे खाने के लिये छोड दिया है। प्रार्थीगण के पास अपना भरण पोषण व दवाईयॉ ईलाज व कपडे इत्यादी दैनिक जीवन यापन करने के लिये किसी प्रकार का आय का जरिया नही है। प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ गयी है। इसलिये प्रार्थीगण को अपने भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सम्य जिन्दगी जिने हेतू प्रतिमाह 30,000/रू अक्षरे तीस हजार रू. अप्रार्थीगण से दिलाये जावे का आदेश फरमावे।

2–यह है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो ने जो प्रार्थी घीसाराम के नाम से ग्राम निम्बेडा मे 25 बिघा भूमि आती थी वो अप्रार्थीगण ने अपने नाम करवा ली है। ओर मकान के कमरे मे ही प्रार्थीगण निवास करते आ रहे है जिनके भरण पोषण की कोई सुविधा नही है। कई बार तो भुखे सोना पडता है। अप्रार्थी भॅवरलाल के गिरवी की दुकान चली आ रही है जिससे प्रतिमाह 75,000/–रू0 एव खेती से प्रतिवर्ष 5,00,000/–रू0 कि आमदनी होती है। ओर अप्रार्थी ओमप्रकाश के भी गिरवी व इलेक्ट्रीक की दुकान है जिससे प्रतिमाह 1,00,000/–रू0 एंव खेती से प्रतिवर्ष 5,00,000/–रू0 कि आमदनी होती है। प्रार्थीगण उपरोक्त पत्ते पर निवास करते है किन्तु किसी प्रकार का आय का जरिया नही है । भूखे मरने की नौबत आ गयी है। अप्रार्थीगण अपने माता–पिता का भरण पोषण नही कर रहे है । ओर दर दर की ठोकरे खाने के लिये छोड दिया है। काफि परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण दिन दिन भर कई बार तो तीन चार दिन तक भुखे रहते है किसी प्रकार का खाना नही दिया जाता है अडौस पडौस से मांग कर खाना पडता है ओर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रार्थीगण को उक्त प्रकार अपना पुत्र होते हुये भी मांग कर खाना भारी बैईज्जती महसुस होती है। जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पुत्रगण है। इसलिये मजबूरन अपने भरण पोषण हेतू माननीय न्यायालय मे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3– यह है कि अप्रार्थीगण का नैतिक व विधिक दायित्व है कि वो अपने माता–पिता का भरण पोषण करने हेतू राशि अदा कर किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अकले एक कमरे मे छोड दिया है। इसलिये प्रार्थीगण को अपने भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सभ्य जिन्दगी जिने हेतू प्रतिमाह 30,000/रू अक्षरे तीस हजार रू. अप्रार्थीगण से दिलाये जावे का आदेश फरमावे।

4– यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश कर दिया हे जिसमे प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है किन्तु मूल प्रार्थना के निस्तारण मे समय लगेगा तब तक प्रार्थीया को अन्तरिम भरण पोषण के तौर पर भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सभ्य जिन्दगी जिने हेतू प्रतिमाह 30,000/रू अक्षरे तीस हजार रू. अप्रार्थीगण से दिलाये जावे का आदेश फरमावे।

5– यह है कि अन्य कोई सहायता हो तो प्रार्थीया के पक्ष मे अता फरमावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सभ्य जिन्दगी जिने हेतू प्रतिमाह 30,000/रू अक्षरे तीस हजार रू. अप्रार्थीगण से दिलाये जावे का आदेश फरमावे। प्रार्थीगण को भरण पोषण की राशि अदा करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया है। जिसमें प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तमाम कथन प्रार्थीगण ने झूठे एवं मनगढत पेश किया हैं,प्रार्थीगण ने दवाईया के कथन के संबंध में कोई दस्तावेज, बिल, डॉक्टर की पर्ची पेश नहीं की हैं, अप्रार्थीगण संख्या 01 भंवरलाल ने प्रार्थीगण के रहवासीय मकान दे रखा है। जिसमें सभी भौतिक सुविधाएं हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित तमाम कथन प्रार्थीगण ने झूठे एवं मनगढत पेष किया हैं,इस बाबत् प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अप्रार्थी भंवरलाल वर्तमान में ग्राम निम्बेडा में निवास कर रहा हैतथा किसी प्रकार से कोई गिरवी की दुकान नही करता हैं तथा भंवरलाल वर्तमान में बेरोजगार हैं।अप्रार्थी धर्मीचन्द्र मजदूरी का कार्य करता हैं। अप्रार्थी धर्मीचन्द्र व भंवरलाल की कृषि भूमि की आय प्रार्थीगण ही लेते हैं।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तमाम कथन प्रार्थीगण ने झूठे एवं मनगढत पेश किया हैं,प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 के मकान में निवास कर रहे हैं एवं प्रार्थीगण के भरण पोशण हेतु सामाजिक पेंशन, मनरेगा से प्राप्त आय एवं कृषि भूमि से प्राप्त समस्त आय प्रार्थीगण ही प्राप्त करता है।इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से किसी प्रकार से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तमाम कथन प्रार्थीगण ने झूठे एवं मनगढत पेश किया हैं प्रार्थीगण ने मूल प्रार्थना पत्र ही पेश किया हैं एवं अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया हैं। प्रार्थीगण के पास अनेक जरिये है जिनसे आय से प्रार्थीगण अपना सम्मान जनक जीवन जी रहे हैं उसके बावजूद भी केवल मात्र अप्रार्थीगण को तंग एवं परेशान किया जा रहा हैं। अतः उक्त जबाव पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमावें।

प्रार्थीगण ने दौराने बहस बताया कि हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भरण पोषण हेतू , ईलाज हेतू, कपडे इत्यादि हेतू सभ्य जिन्दगी जीने हेतू प्रतिमाह 30,000/रू अक्षरे तीस हजार रू. अप्रार्थीगण से दिलाये जावे का आदेश फरमावे।

बहस एकपक्षीय समायत की गई।

पत्रावली के अवलोकन एवं मनन् के पश्चात् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 से प्रतिमाह की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

तारीख 01 से 05 तक प्रत्येक अप्रार्थीगण,प्रार्थीगण के खाते में रूपये 6000 अक्षरे छह हजार रूपये राशि जमा कराने के आदेश दिया जाना न्यायोजित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 भंवरलाल पुत्र घीसाराम से प्रतिमाह की तारीख 01 से 05 तक प्रार्थी संख्या 01 घीसाराम पुत्र प्रेमाराम के बैंक खाते (IFSC CODE RMGB0000044 एवं खाता नम्बर 11044057239) में रूपये 3000 अक्षरे तीन हजार रूपये राशि तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 धर्मीचन्द्र पुत्र घीसाराम से प्रतिमाह की तारीख 01 से 05 तक प्रार्थी संख्या 02 राधादेवी पत्नि घीसाराम के बैंक खाते (IFSC CODE RMGB0000044 एवं खाता नम्बर 83020193807) में रूपये 3000 अक्षरे तीन हजार रूपये राशि जमा कराने के आदेश दिये जाते हैं। अतः उक्त आदेश की पालना हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कूम हों।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)